



उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10
संख्या-64/2026/1019ए/2026-27-10002(002)/13/2026-10
लखनऊ: दिनांक: 04 जून, 2026

शुद्धि-पत्र

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन के वित्तीय स्वीकृति से आच्छादित शासनादेश संख्या-58/2026/ 1019/2026-001-27-10002(002)/13/2026-10, दिनांक 02.06.2026 में अंकित तालिका के क्रमांक-7 पर अंकित परियोजना का नाम "नलकूप खण्ड संतकबीरनगर के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 30 अदद राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना" के स्थान पर **"नलकूप खण्ड संतकबीरनगर के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 80 अदद राजकीय नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की परियोजना"** पढ़ा जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या-64/2026/1019ए(1)/2026-27-10002(002)/13/2026-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (7) संबंधित मुख्य अभियन्तागण (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, द्वारा- प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (8) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी०एम० आई०एस० पोर्टल।
- (9) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र०, लखनऊ।
- (10) नोडल अधिकारी/अनु सचिव, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ०प्र० शासन।
- (11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु०-9/नियोजन अनु०-3
- (12) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (13) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव